कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjhk@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0ब0–61/2017–269 दिनांक : 23/2/18

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/देवघर वन प्रमंडल/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू–संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु **रू0 362.331 (तीन करोड़ बासठ लाख तैंतीस हजार एक सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–08/2018–43/स्वी0 व0प0 दिनांक 20.02.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–08/2018–89/आ0 व0प0 दिनांक 20.02.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष– 40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 362.331 (तीन करोड़ बासठ लाख तैंतीस हजार एक सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	229.900
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	132.431
कुल :–		**362.331**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यो की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय

प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2** पर एवं स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3** पर तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601789400103 एवं 19S240601789400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध परिशिष्ट–1 के अनुरुप प्रमंडलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

6. वन संवर्द्धन कार्यों के लिए स्वीकृत स्थल 100 चयनित वन ग्रामों की सूची से लिये गये हैं एवं इन ग्रामों के वनों का घनत्व खुले वन की श्रेणी में आता है। इन वनों के घनत्व की पहचान GIS Cell, Ranchi द्वारा FSI, Dehradun से प्राप्त की गई झारखण्ड के वनों के Digital Map से की गई है ताकि आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक पद्धति से वन संवर्द्धन कार्यों के प्रभाव का मूल्यांकन भी किया जा सके।

7. संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी कार्य शुरू करने के पूर्व जी0आई0एस0 सेल, राँची से अपने प्रमण्डल की Soft copy प्राप्त कर स्वयं भी वनों के घनत्व संबंधी स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन कर लेंगे। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography कारवाई जायेगी ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/encroachment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया, जिनको बड़े आकार के tube में Root-Shoot से तैयार किया जाऐगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाऐगा।

8. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6″ छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा

जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

12. योजना का सूत्रण स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के उपरांत किया गया है।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

18. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–61/2017–**269 दिनांक–23/2/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/दुमका/ हजारीबाग/पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल बोकारो/ गिरिडीह/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ गढ़वा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–61/2017–**269 दिनांक–23/2/18

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/धनबाद/ रामगढ/गिरिडीह/देवघर/चतरा/हजारीबाग/गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017—18 में कार्यान्वित की जानेवाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्रम सं0	प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2017—18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
रीजन का नाम :— बोकारो					
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	60	13.794	7.946	21.740
2	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	100	22.990	13.243	36.233
3	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	79	18.162	10.462	28.624
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	150	34.485	19.865	54.350
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	74	17.012	9.800	26.812
योग		**463**	**106.443**	**61.316**	**167.759**
रीजन का नामः— दुमका					
1	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	102	23.450	13.508	36.958
योग		**102**	**23.450**	**13.508**	**36.958**
रीजन का नामः— हजारीबाग					
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	100	22.990	13.243	36.233
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	135	31.037	17.878	48.915
3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	100	22.990	13.243	36.233
योग		**335**	**77.017**	**44.364**	**121.381**
रीजन का नामः— पलामू					
1	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	100	22.990	13.243	36.233
योग		**100**	**22.990**	**13.243**	**36.233**
सकल योग		**1000**	**229.900**	**132.431**	**362.331**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

H:\Silvicultural Oprenation\1\वनों का संवर्द्धन

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(Open Forest (10–40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 229.90

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
(A)	**वित्तीय वर्ष 2017–18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 229.90**						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	689.70	0.00	689.70	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे0	15	3448.50	0.00	3448.50	
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच/पत्थर घेरान अथवा झाड़ी घेरान (i) ट्रेंच घेरान– ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान– ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे0 औसतन 6 चेन	12	2758.80	11782.74	14541.54	प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भुगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	20	4598.00	0.00	4598.00	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – अधिकतम 50 कंटूर, साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढ़ाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9196.00	500.00	9696.00	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे0	6	1379.40	0.00	1379.40	
7	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।	220	2	459.80	960.40	1420.20	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
8	वनों की सुरक्षा		2.00	459.80	0.00	459.80	
	योग–		**100.00**	**22990.00**	**13243.14**	**36233.14**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2018–19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 264.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2017–18 को आधार मानते हुए**						
1	अस्थाई पौधशालाओं में Root-Shoot द्वारा तैयार किये गये एवं स्थाई पौधशाला में उपलब्ध 40% ट्यूब प्लान्ट का उपयोग वनरोपण हेतु किया जायेगा।	220	2	528.00	640.00	1168.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		4.40	1161.60	0.00	1161.60	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	20	5280.00	0.00	5280.00	
4	सागग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0		0.00	500.00	500.00	
5	सिंगलिंग कार्य		4	1056.00	0.00	1056.00	
6	वनों की सुरक्षा		7.30	1927.20	0.00	1927.20	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति
	योग–		**37.70**	**9952.80**	**1140.00**	**11092.80**	
(C)	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 304.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए**						
1	वनों की सुरक्षा/ संपोषण		7.30	2219.20	0.00	2219.20	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी–निकौनी
	योग–		**7.30**	**2219.20**	**0.00**	**2219.20**	
(D)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 350.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**						
1	वनों की सुरक्षा/ संपोषण		7.30	2555.00	0.00	2555.00	ट्रेन्च घेरान की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोड़नी–निकौनी
	योग–		**7.30**	**2555.00**	**0.00**	**2555.00**	
	सकल योग –		**152.30**	**37717.00**	**14383.14**	**52100.14**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नकः—3

वित्तीय वर्ष 2017—18 से 2020—21 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना'' के अंतर्गत वन संवर्द्धन एवं भू—संरक्षण कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	परिसर का नाम	थाना/ थाना सं0	स्थल का नाम	निर्धारित भौतिक लक्ष्य (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	ix
बोकारो रीजन						
1	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	चास	ढोरी	नावाडीह—73	चपरी	60
		योगः—				**60**
2	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	टुण्डी	राजगंज	तोपचांची—188	राजबंस पहाड़	100
		योगः—				**100**
3	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	पतरातु	पतरातु	रामगढ़—20	साहीटांड	79
		योगः—				**79**
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	गावां	गावां	गावां—164	गावां	50
		गिरिडीह	कठवारा	पिरटांड—29	प्रतापपुर	100
		योगः—				**150**
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	डोरण्डा	बलहरा	धनवार—4	सुरंगी	74
		योगः—				**74**
		बोकारो रीजन का योगः—				**463**
दुमका रीजन						
1	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	देवघर प्रादेशिक	कोयरीडीह	देवघर—114	दिघरिया पहाड़	70
		देवघर प्रादेशिक	मनीग्राही	सारठ—21	पथरदा पहाड़	32
		दुमका रीजन का योगः—				**102**

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	परिसर का नाम	थाना/ थाना सं0	स्थल का नाम	निर्धारित भौतिक लक्ष्य (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	ix
हजारीबाग रीजन						
1	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	हंटरगंज	हंटरगंज	प्रतापपुर–55	बरतपुर	100
	योगः–					**100**
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	टण्डवा	मिसराउल	टण्डवा–23	फुलवरिया	135
	योगः–					**135**
3	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	बड़कागांव	बड़कागांव	बड़कागांव–64	शिकारी	100
	योगः–					**100**
	हजारीबाग रीजन का योगः–					**335**
पलामू रीजन						
1	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	रंका पूर्वी				100
	पलामू रीजन का योगः–					**100**
	सकल योगः–					**1000**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/yb-61/17/269

दिनांक - 23-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99343	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	1,379,400.00 रुपये तेरह लाख उन्नासी हजार चार सौ
2	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99344	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,299,000.00 रुपये बाइस लाख निन्नानवे हजार
3	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99345	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,816,200.00 रुपये अठारह लाख सोलह हजार दो सौ

योग: 5,494,600.00

क्रमिक योग: रुपये चौपन लाख चौरानवे हजार छः सौ

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.P[illegible]HAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-61/17/269 दिनांक - 23-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99346	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	3,448,500.00 रुपये चौतीस लाख अडतालीस हजार पॉच सौ
5	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99347	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,701,200.00 रुपये स त्र ह लाख एक हजार दो सौ
6	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99348	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	2,345,000.00 रुपये तेइस लाख पैंतालीस हजार

योग: 7,494,700.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड उन्तीस लाख नवासी हजार तीन सौ 12,989,300.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEV.)JHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 23/2/2018

पत्र संख्या - 01/YB-61/17/269 दिनांक - 23-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99349	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	2,299,000.00 रुपये बाइस लाख निन्नानवे हजार
8	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99350	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	3,103,700.00 रुपये इकतीस लाख तीन हजार सात सौ
9	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99352	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	2,299,000.00 रुपये बाइस लाख निन्नानवे हजार

योग: 7,701,700.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड छः लाख इनकानवे हजार 20,691,000.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF/DEV/JHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 28/2/2018

पत्र संख्या - 01/YB-61/17/269 दिनांक - 23-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99354	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	2,299,000.00 रुपये बाइस लाख निन्नानवे हजार
11	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99357	BKRFOR001 P.R. NAIDU D.F.O, BOKARO	794,600.00 रुपये सात लाख चौरानवे हजार छः सौ
12	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99358	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ

योग: 4,417,900.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड इकावन लाख आठ हजार नौ सौ 25,108,900.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.P[illegible]HAND

RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-61/17/269 दिनांक - 23-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99360	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,046,200.00 रुपये दस लाख छयालीस हजार दो सौ
14	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99361	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	1,986,500.00 रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार पॉच सौ
15	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99362	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	980,000.00 रुपये नौ लाख अस्सी हजार

योग: 4,012,700.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड इनकानवे लाख इक्कीस हजार छः सौ 29,121,600.00

(SHRI SATNAM SINGH
BAPHAWAN(IFS)
ADDl.PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-61/17/269 दिनांक - 23-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99363	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,350,800.00 रुपये तेरह लाख पचास हजार आठ सौ
17	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99364	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
18	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99365	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,787,800.00 रुपये स त्र ह लाख सित्यासी हजार आठ सौ

योग: 4,462,900.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड पैतीस लाख चौरासी हजार पॉच सौ 33,584,500.00

(SHRI SATNAM SINGH BADHWAN IFS)
ADDI.PCCF DEV.JHARKHAND
RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 23/2/2018

पत्र संख्या - 01/YB-61/17/269

दिनांक - 23-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99366	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ
20	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	99367	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	1,324,300.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार तीन सौ

योग: 2,648,600.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड बासठ लाख तैतीस हजार एक सौ 36,233,100.00

(SHRI SATNAM SINGH

ADDI.PCCF(DEV)JHARKHAND

RANCHI

 164.100.150.21 Run Date: 23/2/2018